प्रेस नोट

सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित पहचानपत्र के बिना किराये पर उपलब्ध नहीं होगा मकान

दीव, दिनांक 24 अक्तूबर 2019 - संघ प्रदेश दमण एवं दीव के दीव जिला में स्थित सभी मकानमालिकों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा उचित पहचानपत्र के बिना किराये पर मकान उपलब्ध नहीं कराने के लिए आदेश दिया गया है । दीव जिला मजिस्ट्रेट श्रीमती सलोनी राय ने यह आदेश जारी कर सभी मकान मालिकों व होटल मालिकों को उचित कार्रवाई करने के लिए आदेश जारी किया है । इसके अन्तर्गित यह सूचित किया गया है कि - दीव के कुछ पुलिस स्टेशन / चौकी के क्षेत्र में प्रचलित स्थिति में यह आशंका की गई है कि आतंकवादी / असामाजिक तत्व दीव में ठहरने के ठिकाने की तलाश कर सकते हैं और इससे सार्वजनिक शांति आौर सौहार्द्य के उल्लंघन हो सकता है एवं इससे मानव जीवन तथा सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा होने की संभावना है एवं इस कारण सार्वजनिक संपत्ति की हानि हो सकती है । पुन: सुरक्षा के लिहाज से यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कोई भी होटल / पेइंग गेस्ट हाउस / लॉजिंग हाउस आदि को सक्षम प्राधिकारियों से उचित अनुमति के बिना नहीं चलाना है । इसके अन्तर्गत पर्यटन विभाग, दीव से लाइसेंस प्राप्त करना भी अति आवश्यक है ।

यह भी आवश्यक है कि मकान मालिक / होटल / गेस्ट हाउस / लॉज / चॉल मालिकों पर कुछ चेक लगाना अपेक्षित है, ताकि किरायेदारों / आगंतुकों / मेहमानों / मेहमानों की आड़ में आतंकवादी / असामाजिक तत्व विस्फोट, दंगे, बाहरी शूटिंग आदि उपद्रव न कर सकें । और उसी की रोकथाम के लिए तत्काल कार्रवाई आवश्यक है ।

इसलिए, जिला मजिस्ट्रेट, दीव को आपराधिक प्रक्रिया संहिता1973 (वर्ष 1974 का 2) की धारा 144 द्वारा दी गई शक्तियों के प्रयोग उन्होंने यह आदेश दिया है कि कोई भी मकान मालिक / होटल / गेस्ट हाउस / लॉज अथवा रिसॉर्ट के मालिक किसी व्यक्ति को सक्षम प्राधिकारी की अनुमति के बिना या पर्यटन विभाग से लाइसेंस प्राप्त किये बिना किसी भी आवास को किराए या भाडे पर नहीं देंगे जब तक उसने पहचान प्रमाण (जैसे आधार कार्ड मतदान पहचान पत्र, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट, क्रेडिट कार्ड अथवा डेविट कार्ड एवं फोटो सहित अन्य कोई पहचान पत्र का प्रमाण) के किसी भी उचित दस्तावेज की प्रति प्राप्त नहीं की है । तथा जब तक उसने संबन्धित पुलिस स्टेशन / चौकियों के प्रभारी को उक्त पहचान नहीं सौंपा है । सभी लोग

जो किराये पर कमरे लेने का इरादा रखते हैं, वे इस संबंध में लिखित रूप से उक्त मकान के अंतर्गत संबंधित थाना / चौकी को सूचित करेंगे ।

यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा एवं तब तक प्रभावी रहेगा, जब तक इसे वापस नहीं लिया जाता है ।

इस आदेश को उल्लंघन करने वाले व्यक्ति आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 188 के तहत दण्डनीय होगा ।

~~~~~~~~~~
~~~~~~~~~~